HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 764/2026

In

S.B. Criminal Appeal No. 853/2026.
URN: SOSA / 1473U / 2026

1. Shriram S/o Prabhatilal, Aged About 37 Years, Residence Of Haripura, Police Station Sadar Dausa, Distt. Dausa (Appellant Is In District Jail Dausa)
2. Suresh Kumar S/o Babulal, Aged About 33 Years, Residence Of Haripura, Police Station Sadar Dausa, Distt. Dausa (Appellant Is In District Jail Dausa)
3. Anil S/o Gyarasa, Aged About 28 Years, Residence Of Haripura, Police Station Sadar Dausa, Distt. Dausa (Appellant Is In District Jail Dausa)

----Petitioners

Versus

The State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sanjay Gangwar
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dadad, P.P. with Mr. Navdeep Singh, P.P. Mr. Arvind Sharma

---

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI
Order

17/07/2026

1- योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण, अपीलार्थी संख्या–1 श्रीराम पुत्र प्रभातीलाल की हद तक यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रत्याहृत किए जाने की अनुमति चाहते हैं।

अनुमति प्रदान की जाती है।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा अपीलार्थी संख्या–1 श्रीराम पुत्र प्रभातीलाल की हद तक सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रत्याहृत किए जाने के आधार पर निरस्त किया जाता है।

2— अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **सुरेश कुमार एवं अनिल** की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय—**सेशन न्यायाधीश, दौसा, जिला दौसा (राजस्थान)** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या—**11/2023, सरकार बनाम श्रीराम व अन्य** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **30.03.2026** के विरूद्ध यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम सात वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण—अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण को अधिकतम सात वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है, विचारण के दौरान वे जमानत पर आजाद रहे हैं तथा वे एक दिन भी न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहे हैं, वर्तमान में वे निर्णय की दिनांक 30.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थीगण सुरेश एवं अनिल पर मजरूब के विशिष्ट रूप से किसी भी प्रकार की चोटें मारने का कहीं भी आरोप नहीं है, साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है, विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य एवं तथ्यों का समग्रता से एवं सही रूप से विवेचन—विश्लेषण नहीं किया गया है, अपील में अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ एवं पर्याप्त आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक एवं योग्य अधिवक्ता परिवादी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष के तर्कों—वितर्कों पर मनन किया, विचारण के दौरान लेखबद्ध आहत/मजरूब पी0डब्ल्यू—6 राजेश के कथनों एवं चोट प्रतिवेदन

रिपोर्ट प्रदर्श पी–12 एवं प्रदर्श पी–13 एवं पी0डब्ल्यू0 10 गवाह नन्दलाल के बयान एवं पी0डब्ल्यू–19 अनुसंधान अधिकारी प्रवीण कुमार के बयान एवं सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, अतः पत्रावली पर आई साक्षीगण की साक्ष्य की प्रकृति, दस्तावेजात, अपीलार्थीगण/ अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि, प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना अपीलार्थीगण सुरेश कुमार एवं अनिल की हद तक यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण सुरेश एवं अनिल की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/–रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वे इस न्यायालय में दिनांक **17.08.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, वे उपस्थित होते रहेंगे, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण– **1. सुरेश कुमार पुत्र श्री बाबूलाल एवं 2. अनिल पुत्र ग्यारसा** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI/66